



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes  
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल. सं. NCST/DEV-292/JH/12/2022-ESDW

दिनांक: 02.07.2024

सेवा में,

श्री श्रीकांत माधव वैद्य,  
अध्यक्ष,  
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड,  
3079/3, सादिक नगर,  
जे. बी. टिटो मार्ग,  
नई दिल्ली-110049  
ई-मेल: iocl.coccc@indianoil.in

विषय: आदिवासी कोटे के तहत आवंटित झारखण्ड इंडेन, गिरिडीह को कंचन देवी एवं उसके पति सुधीर कुमार द्वारा षडयंत्र कर उनके प्रतिष्ठान के निलंबन कराने हेतु इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड को गलत सूचना देने के सम्बन्ध में श्री टिकन सोरेन का दिनांक 22.02.2022 का अभ्यावेदन।

संदर्भ: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 02.03.2022.

संदर्भ: आयोग का समसंख्यक पत्र नोटिस दिनांक 28.10.2022.

संदर्भ: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 15.05.2023.

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री जाटोतु हुसैन, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक 08.07.2024 को पूर्वाह्न 11:20 बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से और माननीय सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(एच. आर. मीना)

अनुसंधान अधिकारी

ई-मेल: [researchofficer-esdw@ncst.nic.in](mailto:researchofficer-esdw@ncst.nic.in)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. माननीय सदस्य महोदय के निजी सचिव।
2. एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।